न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
207 / 2023	08.08.2023	26.02.2024

उनवान

1. अनूप पुत्र श्री रामकिशोर भूतड़ा आयु वयस्क निवासी 18 लक्ष्मी मार्केट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड़, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. आलोक पुत्र श्री रामकिशोर भूतड़ा आयु वयस्क निवासी 18 लक्ष्मी मार्केट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड़, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री अमरचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. कंकू देवी पत्नी स्व० श्री अमरचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. कन्हैया लाल पुत्र श्री अमरचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. श्रीमती घीसी पत्नी श्री नाथू लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी– कल दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. जगदीश पुत्र श्री अमरचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. बदाम पुत्री श्री अमरचन्द विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. भंवर लाल पुत्र श्री नाथू लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. शांता देवी पत्नी श्री देवी लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. रतन पुत्र श्री देवा हरिजन आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. श्रीमती सुगना पत्नी स्व० श्री देवा हरिजन आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. दोली पुत्री श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12. प्रमु पुत्र श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. बंशी पुत्र श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. भंवर पुत्र श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. मांगी पत्नी स्व० श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. मोहनी पुत्री श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. सीता पुत्री श्री बोईतराम विश्नोई आयु वयस्क निवासी– दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. मंजू खोईवाल पुत्र श्री मखन खोईवाल आयु वयस्क निवासी– 10 ई 72 तिलकनगर, भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र बलाई आयु वयस्क निवासी– पांसल, भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी पराश व्यास
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 19 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दरीबा प0ह0 दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 1859/1 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Ghad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 19 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दरीबा प0ह0 दरीबा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 1859/1 कुल किता 01 कुल रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा